11·42 hrs.

STATE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL*

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the State Bank of India Act, 1955.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the State Bank of India Act, 1955."

The motion was adopted.

Shri T. T. Krishnamachari: I introduce the Bill.

11.42¼ hrs.

ADVOCATES (AMENDMENT) BILL*

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Bibudhendra Misra): On behalf of Shri A. K. Sen, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Advocates Act, 1961.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Advocates Act, 1961."

The motion was adopted.

Shri Bibudhendra Misra: I introduce the Bill.

DISCUSSION UNDER RULE 193

(1) STEPS TO ROOT OUT CORRUPTION

Mr. Speaker: Shri Prakash Vir Shastri.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh (Parbhani): Sir, before you take up this item, I beg formally to move that discussion on this motion be either postponed to the next session, after the time-limit is fixed by you, or, Shri Prakash Vir Shastri be permitted to make his motion and make his speech, and that further discussion may be postponed to the next session.

Mr. Speaker: There are two hours fixed for the first and two hours for the second.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): You could extend the time by one hour more.

Mr. Speaker: We have got five hours. Therefore, there is enough time.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): You may remember that when this business was announced by the Minister of Parliamentary Affairs, I made a request to you that it should be an official motion so that we can get more time. You said you would consider it and give more time for this motion. Actually, the House would like to have more time. Ordinarily, for non-official business, the time allotted is two and a half hours. But here, even that is limited, namely, it is two hours.

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 1, dated 21-12-63.

Mr. Speaker: That question arose yesterday. The Minister of Parliamentary Affairs, in deference to the wishes of the hon. Members, wanted to make an adjustment, that the second item, about this sugarcane prices, might be taken up first, so that it might be finished within two hours or two and a half hours, and then the first discussion under Rule 193 might be taken up, so that it might just extend to the next session also if more time was wanted. But the hon. Members who wanted to move it, did not agree, though I also wanted that it might be done. It might have been possible, but the Members objected to it, and therefore I was left with no choice. Shri Prakash Vir Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के राज रोग ने देश को इस बुरी तरह से जकड़ लिया है कि स्वराज्य आन्दोलन के समय जिन सुख और सुविधाओं की कल्पना इस देश की जनता ने की थी, धीरे धीरे आज वह स्वप्न हो रही है, और यहां तक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पौने दो सौ सालों के जिस अत्याचारी अंग्रेजी शासन को उस के जाने के बाद यह देश स्मरण नहीं करना चाहता था, आज इस भ्रष्टाचार से यहां तक कहने के लिये जनता विवश हो गई है कि इस से तो पहले का शासन कहीं ज्यादा अच्छा था । भ्रष्टाचार देश में बढ़ रहा है यह सब मानते हैं । भ्रष्टाचार देश में रुके, इस बात को चाहते भी सब हैं । राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक छोटे से छोटे व्यक्ति यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिये । परन्तु भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है । जितना प्रयास किया जा रहा है उतना ही यह बढ़ रहा है । यह एक गम्भीर प्रश्न है जिस पर विचार करने के लिये मैंने आज यह प्रस्ताव उपस्थित किया है ।

मैं अपने प्रस्ताव को उपस्थित करने से पहले आप के द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि बढ़ते हुए भयंकर भ्रष्टाचार से इस समय शासन के प्रति जो अविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है, मुझे भय है बहुत शीघ्र ही कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाय कि यह ज्वालामुखी किसी और दूसरे रूप में फट पड़े और हमारे शासन और देश दोनों को इसका दुष्परिणाम किसी दूसरे रूप में भोगना पड़े। बहुत सम्भव है कि मेरे इन शब्दों को कोई अतिशयोक्ति या अतिरंजना समझे, लेकिन मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारे शासकों को आपसी खींचातानी और लड़ाई से फुर्सत हो और दिल्ली की एअर कंडिशन्ड कोठियों का मोह थोड़ी देर के लिये वे छोड़ सकें और विक्रमादित्य की तरह सामान्य वेश भूषा में भारत के किसानों की झोंपड़ियों के पीछे खड़े हो कर रात के समय उन की दर्द भरी आहें सुनें तो मेरा विश्वास है कि जो स्थिति मैं आज यहां पर बतला रहा हूं, उस से भी कहीं अधिक बुरी स्थिति उन को वहां सुनने को मिलेगी ।

भ्रष्टाचार को रोकने की बातचीत आज नये सिरे से हो रही है ऐसी बात नहीं है, भ्रष्टाचार को रोकने के यत्न पीछे भी किये जाते रहे हैं । यों तो अंग्रेजी सरकार भी भ्रष्टाचार को फैलाने के लिये जिम्मेदार है । इसी से दूसरे महायुद्ध के समय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की स्थापना हुई । आगे चल कर सन् १९४६ में उस को एक ऐक्ट का व्यापक रूप दिया गया । इस के पश्चात् स्वतन्त्र होने पर सन् १९४८ में बख्शी टेकचन्द की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई । इस समिति को यह देखने का काम सौंपा गया कि भ्रष्टाचार निरोध ऐक्ट, १९४७ कैसे चल रहा है और क्या क्या बातें उस में और होनी चाहियें । दूसरा काम उस समिति को यह सौंपा गया कि यह देखे कि इस ऐक्ट के अनुसार भ्रष्टाचार को रोकने में कहां तक सफलता मिली है । दो तीन वर्ष निरन्तर प्रयास करने के बाद बख्शी टेकचन्द समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, जिस के आधार पर और जिस की पृष्ठभूमि में सन् १९५२ में क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट पास किया गया और सन् १९४६ के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना ऐक्ट में कुछ संशोधन भी

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

किये गये । लेकिन इस पर भी भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास में बहुत अधिक सफलता नहीं मिली । इस का कारण यह था कि पहले जो भी ऐक्ट थे उन में किसी विशेष व्यक्ति के कन्धों पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेन्ड आप क्या मुझ को दे देंगे । ठीक दो बजे मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब को इस का जवाब देने के लिये बुलाऊंगा ।

Shri P. K. Deo: But there is plenty of time.

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस का समय बढ़ा दिया जाये । सारे देश के अन्दर भ्रष्टाचार का सवाल है इसलिये समय ज्यादा दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें । जब मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं बढ़ाने के लिये तैयार होता हूं तो मेम्बरों की तरफ से मुखालफत होती है और जब मैं इस को खत्म करना चाहता हूं तो वे ज्यादा वक्त चाहते हैं । ऐसी हालत में मैं बेबस हो जाता हूं । कल मैं ने इस बात को कहा कि बहुत से मेम्बर बोलेंगे, इस वक्त भी यही बात है । इस बात को भी सामने रख लें । एक तरीका तो यह है कि आज जितना समय हम खर्च कर सकें उतना कर लें बाकी अगले सेशन में ले लिया जाये । दूसरा तरीका यह है कि आज हम इस को दो घंटे में खत्म कर दें । दूसरे सेशन को ले जाने के बारे में तो माननीय मेम्बरों ने मुखालफत की । जब आप किसी बात को मंजूर नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूं । इसलिये अब मैं दो बजे मिनिस्टर साहब को बुलाऊंगा ।

Shri Surendranath Dwivedy: May I suggest that this may be part-discussed and then it might be extended to the next session?

Mr. Speaker: But that was objected to.

Shri Surendranath Dwivedy: It may be done even now.

Mr. Speaker: Hon. Members cannot have it both ways. They put me in difficulty. When I requested them, they did not want it.

Shri Surendranath Dwivedy: Even now it can be done.

An Hon. Member: Only two hours have been given.

Mr. Speaker: The maximum time for the motion under rule 193 is 2-1|2 hours.

Shri Surendranath Dwivedy: The House may agree to extend the time.

Mr. Speaker: Shri Prakash Vir Shastri will have 20 minutes; the others ten minutes.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: You said that the time allowed is two hours. We started at a quarter to 12.

Mr. Speaker: I have given more time. The time given to the Minister is extra. It is 2 hours 15 minutes to the non-official Members, and then, after that, the Minister will reply.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: The other debate will not be concluded, Sir, in that case. The difficulty is . . . .

Mr. Speaker: It has to be concluded.

श्री रामेश्वरानन्द : (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, या तो आज अधिक देर तक हम लोग बैठ जायें या तो फिर एक दिन और बढ़ा दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं यह चर्चा कर रहा था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये किस किस प्रकार के प्रयास किये गये अब तक । बख्शी टेकचन्द समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सन् १९४६ के ऐक्ट के सम्बन्ध में दी, उसी की पृष्ठभूमि में सन

१९५२ में कुछ नये निर्णय और लिये गये। लेकिन उन निर्णयों को भी जब व्यवहारिक होते नहीं देखा गया तो उस के पश्चात् सरकार ने कुछ फिर और नये कदम उठाने का निश्चय किया। क्योंकि बख्शी टेकचन्द कमेटी के आधार पर जो निर्णय लिये गये थे उन में सब से बड़ी कमजोरी यह रह गई थी कि विभागों अथवा मंत्रालयों में कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था जो कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निरीक्षण करेगा और दंड की व्यवस्था करेगा। इसके लिये सरकार को आगे चल कर फिर एक प्रशासकीय सतर्कता विभाग की स्थापना करनी पड़ी जिस का नाम था ऐडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीजन, और उस को यह काम सौंपा गया कि जो मंत्रालय हैं उन में जो उन के सचिव हैं उस की देख रेख करेंगे और उन के नीचे छोटे कार्यालय हैं उनमें उनको विभागाध्यक्ष। यह सतर्कता विभाग उनकी सहायता करेगा।

11.50 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

इस समय जब मैं आप के सामने चर्चा कर रहा हूं इस प्रकार के सतर्कता अधिकारियों की संख्या पर्याप्त है। मंत्रालयों में ३८ सतर्कता अधिकारी इस बात के लिये रखे गये हैं और जो छोटे छोटे कार्यालय हैं उनमें सतर्कता अधिकारियों की संख्या ४१७ है, और जो सरकारी कारपोरेट पबलिक अंडर-टेकिंग्स हैं उनमें भी करीब ६५ सतर्कता अधिकारी हैं। एक वर्ष में इन पर जो व्यय आता है वह है ६७ लाख ४८ हजार रुपया। लेकिन मालूम ऐसा पड़ता है कि सरकार इतने कदम उठाने के बाद भी निराश हो गयी और उसने एक और निर्णायक कदम उठाया और सेंट्रल इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो की स्थापना की। इस ब्यूरो को यह काम सौंपा गया कि जितने भी व्यापारिक संगठन हैं या सरकारी उद्योग हैं, या जहां भी भ्रष्टाचार है उसकी गुप्त सूचना एकत्रित करे और उसके बाद कार्रवाई की जाये। लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि उसके बाद भी फिर सरकार को निराशा हाथ लगी और फिर निराशा होने के पश्चात् सरकार ने आज से चार दिन पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन— केन्द्रीय सतर्कता आयोग—की घोषणा की है।

गृह मंत्री, श्री नन्दा जी, से दो-तीन दिन पहले संसद् में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या आपने जिस अधिकार के साथ यह घोषणा की है कि यदि दो वर्ष में भ्रष्टाचार समाप्त न हुआ तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से हट जाऊंगा। क्या आपने इसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के आधार पर यह घोषणा की है? तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो और भी बीसियों उपाय बरतने पड़ेंगे। तो यह अन्तिम शस्त्र नहीं। इसके बाद भी बहुत सी कमियां रह जायेंगी।

नन्दा जी ने जिस दृढ़ता के साथ यह घोषणा की है मैं उनकी इस घोषणा और दृढ़ निश्चय का हार्दिक स्वागत करता हूं, और चाहता हूं कि यह घोषणा सफल हो। पर जिस प्रकार के चक्रव्यूह में वह फंसे हुए हैं उस में वह सफल हो सकेंगे इसमें मुझे सन्देह है।

यह भी मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का दायित्व केवल मात्र भारत के गृह मंत्री का ही नहीं है। भारत के दूसरे राजनीतिक दलों का और उन राजनीतिक संगठनों के संसद् के और विधान मंडलों के सदस्यों का भी उतना ही दायित्व है जितना कि सरकार का। देश में भ्रष्टाचार बढ़े और भ्रष्टाचार के बढ़ने से देश के सारे शासन तंत्र पर उसका कुप्रभाव पड़े, इसके लिए इतिहास में हर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जायेगा, इसलिए सब ही इस दायित्व को अनुभव करें।

देश में भ्रष्टाचार कहां तक बढ़ा है इसका उदाहरण आप अगर चाहें तो जन साधारण में जा कर देख सकते हैं। किस

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

प्रकार छोटी छोटी कहानियां इस भ्रष्टाचार की लोगों के कानों में पड़ रही हैं। कार्यालयों में जो गांधी जी तस्वीर हाथ फैलाये हुए लगी है उसका अर्थ क्या लगाया जाता है यह आप सुनें। जो कर्मचारी पहले दो या दो सौ रुपये रिश्वत लेता था वह कहता है कि अब तो गांधी जी ने पांच या पांच सौ रुपये लेने की इजाज़त दे दी है। क्योंकि वे भी पांच उंगलियां दिखा रहे हैं। कितने छोटे स्तर तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है। जो सड़क पर फेरी लगाने वाले हैं उससे पुलिस रिश्वत लेती है, अगर जमीन के काग़ज़ात देखने हैं तो पटवारी रिश्वत मांगता है, स्टेशन पर आपको बर्थ रिजर्व करानी है तो रिजरवेशन वाला उस रिजरवेशन के लिए रिश्वत मांगता है, अस्पताल में अगर मरीज अपने को डाक्टर को दिखाना चाहता है तो उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा चपरासी पहले रिश्वत मांगता है, कचहरी में जहां मजिस्ट्रेट बैठा है उसके नीचे उसका पेशकार हाथ फैला कर रिश्वत ले रहा है, थाने में किसी चोरी, डकैती या कत्ल की रिपोर्ट लिखाने आप जायें तो मुहर्रिर को पहले रिश्वत दीजिये, पी० डब्ल्यू० डी० का यह हाल है कि ठेकेदार बड़े बड़े अफसरों को रिश्वत देकर ठेके ले लेते हैं चाहे उनका टेंडर हो या न हो। इसी तरह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लाइसेंस लेने के लिए जो रिश्वत चलती है उसने तो इतना भयंकर रूप धारण कर लिया है कि जिसका ठिकाना ही नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी एक और चीज़ है कि हमारे देश में कुछ सिनेमा के एक्टर और एक्ट्रेसेज़ ऐसे हैं जो पहले तो मिनिस्टरों के इलैक्शन में कुछ काम कर देते हैं और फिर आगे आकर चाहे जितना कमायें इनकम टैक्स बचा लें कोई नहीं पूछता। कभी अगर भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की चेष्टा भी की जाती है तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी मछलियां तो फंस जाती हैं लेकिन बड़े बड़े मगर मच्छ नहीं फंसते। पांच सात दिन से इसी तरह की एक चर्चा यहां पर चल रही है लेकिन उसके बाद भी उसका जो परिणाम निकलना चाहिए था वह नहीं निकल पाया।

मेरा अपना अनुमान है कि देश में भ्रष्टाचार पनपने के चार प्रमुख केन्द्र हैं। सबसे बड़ा केन्द्र जहां भ्रष्टाचार पनप रहा है वह हैं मंत्रिगण और विधायकगण—मैं दोनों को शामिल करता हूं— दूसरे जहां भ्रष्टाचार है वह हैं ऊंचे सरकारी अधिकारी और कुछ सामान्य छोटे सरकारी कर्मचारी, तीसरा केन्द्र भ्रष्टाचार का है व्यापारिक संस्थान और बड़े बड़े व्यापारियों और चौथा केन्द्र भ्रष्टाचार का है जन साधारण।

जहां तक छोटे वर्ग के भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यह वर्ग तो मजबूरी में भ्रष्टाचार का शिकार होता है। इस वर्ग की तो यह इच्छा है कि भ्रष्टाचार जल्दी से जल्दी समाप्त हो और जिस दिन भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति मिलेगी उस दिन यह वर्ग अपने घरों में घी के दिये जलायेगा क्योंकि यह वर्ग समझता है कि उसी दिन देश को गांधी जी द्वारा बताया हुआ सच्चा राम राज्य मिला है।

श्री गुलजारी लाल नन्दा ने चार दिन पहले जिस विजिलेंस कमीशन की घोषणा की थी, मैं यह समझता था कि इस विजिलेंस कमीशन में एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम उठा सकेंगे, लेकिन इस विजिलेंस कमीशन में जो सब से बड़ी कमजोरी है वह यह है कि इसको चोटी पर चलने वाले भ्रष्टाचार को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि संसद् के मंत्रिगण को इससे बिल्कुल अछूता रखा गया है। शायद नन्दा जी ने यह सोचा हो कि अगर इस वर्ग को छेड़ेंगे तो वह हमको भी नहीं छोड़ेगा, और इसलिए उस वर्ग को छोड़ दिया गया है तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि उनसे सफलता अभी कोसों

दूर है। अगर इस वर्ग को छोड़ दिया गया तो उनको सफलता नहीं मिल सकती । आज इस कारण अनेक लोगों को यह कहते सुनते हैं इस में भी कुछ नहीं होना जैसे हमेशा काम चलता था उसी तरह आगे भी चलता रहेगा ।

क्या मैं सचाई से पूछ सकता हूं कि कितने मंत्रियों का पैसा विदेशी बैंकों में जमा है ? जिस समय सदन में यह चर्चा उठी तो प्रधान मंत्री और एक आध और व्यक्ति को छोड़ कर किसी ने यह नहीं बताया। मैं चाहता हूं कि अन्य मंत्री स्पष्ट यह घोषणा करें कि हमारा एक भी पैसा किसी विदेशी बैंकों में जमा नहीं है, और अगर होगा तो उसको राष्ट्रीय रक्षा कोष में दे दिया जायगा। अगर सबसे जिम्मेदार के पदों पर बैठने वाले ही सचाई से अपने धन के बारे में घोषणा नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा था कि बैंकिंग प्रणाली की नीति ही यह है कि कुछ बातें गुप्त रखी जाती हैं । इसलिए बैंकों में किसका कितना पैसा जमा है इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन जिस जनता ने उन लोगों को इन पदों पर बैठने से पहले भी देखा था और उन पदों पर बैठने के कुछ साल बाद भी जनता उनकी स्थिति देखती है, क्या उस जनता को श्री कृष्णमाचारी की यह बात संतोष दे सकेगी ।

कामराज योजना के आने से यह आशा हुई थी कि कुछ त्याग की प्रवृत्ति का उदय होगा । कुछ सीमा तक तो यह ठीक है कि उससे त्याग की भावना का उदय किसी अंश में हुआ लेकिन एक बुराई और पैदा हो गयी, वह यह कि अभी तक जो मंत्री बनते थे उनको यह निश्चय रहता था कि पांच साल तो इस गद्दी पर बैठे ही रहेंगे, और उनको जो कुछ काम करना होता था वह पांच बरस में करने की सोचते थे। लेकिन कामराज योजना से हर मंत्री के दिमाग में शंका पैदा हो गयी है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुझे तो आधा घंटा दिया जायेगा ।

Shri Nath Pai (Rajapur): He is the mover of the motion, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: It is a two-hour discussion. The Speaker told Mr. Shastri that he would give 15 minutes to him and 10 minutes to others.

श्री बागड़ी : आधे घंटे में वह क्या रखेगा ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं विरोध स्वरूप अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, आर्डर आर्डर ।

Shri S. N. Chaturvedi (Firozabad): Sir, you should exercise your discretion in this matter. This is a very important subject under discussion.

Shri Nath Pai: May I submit in all humility that even the Speaker or whosoever is in the Chair is bound by well-established conventions. When the rules are clear, we have to abide by the rules. It is nowhere said in the rules that 15 minutes are to be given to the mover. The well-established convention is that the mover of a motion of this nature normally gets half an hour. I have had the honour of moving such motions on several occasions, not on corruption, but on other subjects. I have never heard the main mover, Sir, being pulled up by the Chair when he has hardly taken 15 minutes. I think there is a consensus of opinion that he should be allowed more time.

12 hrs.

Mr. Deputy-Speaker: That is only in the case of a resolution and not in the case of a discussion under Rule 193. The Speaker was pleased to say

[Mr. Deputy Speaker]

that the mover will take 15 minutes and the other speakers will take 10 minutes each. I have no objection to give him a little more time if he wants, but the other Members will have to give up their time.

Shri Surendranath Dwivedy: In the alternative, may I move that he be permitted to speak for 30 minutes and, because other hon. Members are anxious to take up the other discussion, this discussion be extended over to the next session.

Mr. Deputy-Speaker: It will not be extended. The Speaker has made it clear.

Shri Surendranath Dwivedy: What is the meaning of having a discussion allowing only 15 minutes to the mover and 10 minutes to other Members?

Mr. Deputy-Speaker: The Speaker has made it quite clear that it is not going to be carried over to the next session.

Shri P. K. Deo: The consensus of opinion is that more time should be allowed.

Mr. Deputy-Speaker: The Speaker considered all that and he has given the ruling.

Shri S. N. Chaturvedi: The Speaker extended the time from 2 hours to 2 hours 15 minutes. That extra time sould be given to the mover.

Mr. Deputy-Speaker: We will go on till two o'clock.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं चर्चा कर रहा था कि कामराज प्लान से हमारे देश में जहां तक एक त्याग की प्रवृत्ति का उदय हुआ है, वहां इस बात का भी भय है कि कहीं संग्रह की प्रवृत्ति का उदय न हो जाये, क्योंकि पहले जिस आदमी को पांच वर्ष तक निश्चिन्तता के साथ काम करने का अवसर मिलता था, इस योजना एक संदिग्ध स्थिति उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो जायेगी। मैं सर्वांश में इस बात को नहीं कहता हूं, लेकिन यह भी संभव है कि कुछ लोग इस प्रकार से इसका अनुचित उपयोग करें।

एक और विशेष बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय बैंकों का सम्बन्ध है, उनके बारे में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा कि सम्भव है कि उनकी गुप्त प्रणाली के आधार पर किसी के बैंक बैलेंस का पता न लगाया जा सके, लेकिन क्या यह वास्तविकता नहीं है कि भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें उनके अपने नाम से, उनकी पत्नियों, लड़कों या रिश्तेदारों के नाम से उन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं ? क्या यह सच नहीं है कि जितनी बड़ी और भारी चीजों की एजेंसियां हैं, वे बड़े बड़े मिनिस्टरों के लड़कों या उनके रिश्तेदारों के नाम से ली गई हैं ? क्या यह भी सत्य नहीं है कि भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें कुछ मिनिस्टरों के लड़के या रिश्तेदार सर्विस में रखे गए हैं। और उनके लड़कों ने सरकार से ऋण ले रखा है ? यहां पर कोई मुझसे यह प्रश्न पूछ सकता है चूंकि वे किसी मिनिस्टर के लड़के हैं, इसलिए क्या उनका अधिकार नहीं है कि वे कहीं सर्विस कर सकें या कोई भारी चीजों की एजेंसी ले सकें या और कोई इस प्रकार के शेयर वगैरह न खरीद सकें। परन्तु इस बारे में मेरा उत्तर यह होगा कि उसी योग्यता और प्रतिभा, बल्कि उससे अधिक योग्यता और प्रतिभा का नवयुवक तो जीवन भर लोअर डिवीजन क्लर्क बन कर रह जाये और उससे कम योग्यता और कम प्रतिभा वाला नव युवक हजारों रुपया माहवार किसी फैक्टरी या किसी सरकारी उद्योग में से ले, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है।

बगल के प्रदेश पंजाब की ही चर्चा है। मैं उसके बारे में विस्तार से तो इसलिए नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके बारे में एन्क्वायरी चल रही है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना

चाहता हूं कि भारत के प्रधान मंत्री को यह क्या गलत आदत पड़ गई है कि जितने इस प्रकार के भ्रष्ट काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनका वह पग-पग पर पक्ष लेते हैं और उनको ईमानदारी का प्रमाणपत्र भी दे देते हैं। आप दिल्ली से छः मील आगे चल कर जहां से पंजाब आरम्भ होता है वहां से अमृतसर तक चले जाइये एक बच्चे से लेकर बड़े तक पूछते चले जाइये कि उस व्यक्ति के बारे में किसकी क्या राय है। लेकिन इतना होने के बाद भी प्रधान मंत्री एक ओर तो जांच आयोग की नियुक्ति का राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं और दूसरी ओर अपनी उसी चिट्ठी में उस व्यक्ति को पवित्रता का प्रमाणपत्र भी दे देते हैं। ये सारी बातें देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को किस तरह रोकेंगी ?

पंजाब के मुख्य मंत्री ने जो अपने पर लगाये आरोपों का उत्तर दिया वहां के सदस्य चाहते थे कि उसकी कापी हम को मिले जिससे हमको भी दास कमीशन के सामने अपना उपयुक्त बयान देने का उपयुक्त अवसर मिल सके। लेकिन कहा यह जाता है कि हमारे पास कापी नहीं है वह हमने दास आयोग को भेज दी है। दास आयोग कहता है कि हमारे पास कापी आई ही नहीं है। समझ में नहीं आता कि वह कापी और दूसरी चिट्ठीपत्री बीच में ही कहां चली गई। इस दशा में देश से भ्रष्टाचार किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है ?

कल माननीय सदस्य श्री कामत ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था कि मंत्रियों की सम्पत्तियों के विवरण लिये जायें। मैं तो चाहूंगा कि विधेयक की शक्ल में या किसी अन्य प्रकार से यह भी निश्चय होना चाहिए कि वे अपनी सम्पत्तियों का विवरण तो दें लेकिन उससे भी यह आवश्यक है कि वे इस बात का विवरण भी दें कि उनके लड़के और रिश्तेदार किस किस योग्यता के हैं ? वे किस सरकारी अथवा व्यापारिक कम्पनी में सर्विस करते हैं ? किन बड़ी और भारी चीजों की एजेंसियां उनके पास हैं और कितने ठेके उनके पास हैं। सब से बड़ी बात तो इसमें यह है कि यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने जो एजेंसियां ठेके या ऋण लिये हैं वे उनके मंत्री बनने से पहले भी उनके पास थे या मंत्री बनने के बाद उन्होंने लिए हैं।

इस सम्बन्ध में मेरा अपना विचार तो यह है कि इन बातों की जांच के लिए एक निष्पक्ष जांच आयोग की स्थापना की जाये। मैं इस प्रकार के बहुत से व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने हजारों हजारों बीघे के एग्रीकल्चरल फार्म खोल रखे हैं और उन्होंने अपने लड़कों के नाम से राज्य सरकारों से काफ़ी ऋण लिये थे। जिसको बाद में या तो किसी प्रकार से माफ़ करवा दिया गया है या आधा चौथाई करके वापस कर दिया गया है। आप बतायें कि यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है ?

मैं यह नहीं कहना चाहता कि चाणक्य की तरह से मुद्राराक्षस के रचियता के शब्दों में

उपल शकल मेतद भेदकं गोमयानाम
बटुभिरुपहृतानां बर्हिषां स्तोम् एषः
शरणमपि समिद्भिशुष्यमाणभि राभिः
विनमित पटलान्तं दृश्यते जीर्ण कुट्यम्
हमारे देश का प्रधान मंत्री . . . . .

Mr. Deputy-Speaker: I will read out the rule. It says:

"The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time limit for the speeches."

Therefore, the hon. Member cannot have half-an-hour.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप यह पहले बता दिया करें। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आप यहां हैं ?

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनट तो इन बातों में चले गये।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण हिन्दी में किया जा रहा है, क्या इसलिए आपको नियम याद आ रहा है ? आज से पहले तो कोई नियम नहीं था और कई माननीय सदस्य घंटे तक बोलते रहे हैं। आज यह नियम बन गया है कि आधा घंटा भी नहीं ले सकते हैं।

Mr. Deputy-Speaker: He may please take two or three minutes more and finish.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : धन्यवाद।

Mr. Deputy-Speaker: All right, Shri Mansinh Patel.

श्री कछवाय : इस बारे में मत ले लिया जाये।

Shri Khadilkar (Khed): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to say something on this point. It would create a wrong impression. I had occasion to move such a motion and I was given more than 30 minutes on that occasion. So it would be wrong if now he is not allowed more time.

Mr. Deputy-Speaker: I have read out the rule.

Shri Khadilkar: I have heard the rule. I would plead that he be given more time.

Mr. Deputy-Speaker: It is not a motion. It is not a resolution. It is only in the case of motions and resolutions that half-an-hour is allowed to the mover. Here he is just raising a discussion.

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पांच मिनट जनसंघ की तरफ से दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पांच मिनट और ले लें।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय,

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आर्डर मान लेता हूं, लेकिन आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। मेरी प्रार्थना यह है कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, जिसका सारे देश से सम्बन्ध है। क्या लोक सभा में भी यह भ्रष्टाचार होगा कि सदस्यों को समय पूरा नहीं दिया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पांच मिनट और ले लें और अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए दुख के साथ दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। मुझे बड़ा दुख है इस बात को कहते हुए कि अगर यह चर्चा एक श्रृंखला के रूप में चलने दी जाती, तो शायद मैं अपनी बात को ज्यादा अच्छी तरह कह सकता और अब तक समाप्त भी हो जाती लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि

श्री नाथपाई : सब का दुर्भाग्य है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : .... इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलते हुए बीच बीच में इस प्रकार की बाधा पड़ी है जिससे सारी श्रृंखला ही टूट गई।

श्री नाथपाई : विचारों की श्रृंखला इस तरह से नहीं टूटने देनी चाहिए।

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry, it cannot be extended.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मैं कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का कोई मंत्री चाणक्य का आदर्श उपस्थित करे। मैं यह भी नहीं चाहता जैसे कभी गांधी जी ने

कहा था, हमारे देश का कोई मंत्री ५०० रुपये से अधिक वेतन नहीं लेगा और फूस की झोंपड़ी में रहेगा। चकाचौंध के इस युग में यह सम्भव भी नहीं है। परन्तु मैं यह आज अवश्य कहना चाहता हूं कि इस गरीब भारत के एक मंत्री पर कितना भारी व्यय बैठता है, इसका निरीक्षण जरूर किया जाये। मेरे हाथ में पिछले पांच सालों की रिपोर्ट है कि किस मंत्री के ऊपर कितना टी० ए०, डी० ए०, का भत्ता बैठता है। मैं विस्तार से इसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कई ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने इन मदों में एक वर्ष में ५५,३२१ रुपये लिये। इसके बाद उनका अपना मासिक वेतन है स्वागत भत्ता है और उसके साथ सरकार की ओर से दी जाने वाली दूसरी सुविधायें भी हैं, कोठी, कार, पानी, बिजली, डाक्टर, और फरनीचर, यह सब मिलाकर एक वर्ष में एक लाख से ऊपर व्यय बैठता है। सोचना यह है कि क्या यह गरीब भारत इस प्रकार के भार को वहन कर सकेगा।

आडिटर-जेनेरल ने आज से डेढ़ साल पहले अपनी रिपोर्ट में इस आशय का एक पैराग्राफ दिया था कि ब्रिटिश कालीन मंत्रियों के ऊपर जितना व्यय बैठता था, आज-कल के मंत्रियों पर उससे कई हजार रुपया अधिक व्यय बैठता है। मेरी विश्वस्त जानकारी है कि उस पैराग्राफ को उस रिपोर्ट से हटवा दिया गया, लेकिन फिर भी बम्बई के एक साप्ताहिक पत्र में वह पैराग्राफ किसी तरह से प्रकाशित हो गया। दूसरे इसका सब से बड़ा प्रमाण है पबलिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें उसने कहा है कि टी० ए० के लिए संसद से जितना पैसा स्वीकृत होता है, वह हर वर्ष बराबर बढ़ता चला जाता है। १९५८-५९ में ६,१९,९०० रुपये की ग्रांट सेंक्शन हुई थी, लेकिन उससे २९,२१४ रुपये ज्यादा व्यय हुआ। १९६०-६१ में भी ७,००,००० रुपये की ग्रांट सेंक्शन हुई थी और उसमें भी २,५८,००० रुपये ज्यादा व्यय हुए। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस गरीब भारत में अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो यह ठीक नहीं होगा। यों भी वैसे यह सरकार जो समाजवादी समाज का आदर्श उपस्थित करना चाहती है तो उसके समाजवाद का नमूना देखिये। आप एक मंत्री को साल का छः हजार रुपया सेम्पचुअरी एलाउंस के तौर पर दिया जाता है। अर्थात् उसको केवल चाय पिलाने के लिए छः हजार रुपया एक साल में दिया जाता है जब कि इसी संसद के एक सदस्य का वेतन केवल ४८०० रुपया साल ही बैठता है। आप बतायें तो सही कि क्या यही समाजवाद है। यहां पर अगर संसद सदस्यों के साथ ही यह स्थिति है तो देश के दूसरे अन्य कर्मचारियों या कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों की क्या स्थिति होगी? इसी तरह आप देखें कि स्टाफ कारों का किस तरह से दुरुपयोग होता है, किस तरह से टेलीफोन का निजीकाम के लिए उपयोग होता है, और किस तरह से निजी बातों के लिए भी इमिजिएट काल्ज़ बुक कराई जाती हैं। अगर आप सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे तो आप स्वयं देख लेंगे कि यह जो स्थिति है यह भ्रष्टाचार की भी सीमा को लांघ चुकी है। यदि मंत्रीगण अपने स्वच्छ चरित्र से आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे तो व्यास जी के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं क्योंकि "राजा कालस्य कारणम्" राजा अपने समय का निर्माता होता है। वह ही इसके अपराधी माने जायेंगे। अगर वह यह आदर्श उपस्थित नहीं करेंगे तो स्थिति संभल नहीं पाएगी।

अपने देश के उच्च अधिकारियों के सम्बन्ध में तथा लालफीताशाही के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस का अकसर जिक्र होता है। हमारे सरकारी कार्यालयों और सेक्रेटेरिएट में यह पद्धति है कि एक फाइल को पूरा चक्कर लगाने में नौ महीने लग जाते हैं और उन्नीस हाथों में से

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हो कर उस को पास होना पड़ता है । साउथ और नार्थ ब्लाक अगर किसी माननीय सदस्य को जाने का अवसर प्राप्त हो तो वह स्वयं अनुमान लगा सकेंगे कि किस तरह से फाइलें वहां पर इकट्ठी पड़ी रहती है । इस संकटकाल में जबकि एक एक पैसा बचाने की आवश्यकता है, तब यह भी देखा जाना चाहिये कि इतने अधिक दिनों तक ये क्यों पड़ी रहती हैं । यदि सचमुच आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि आप यह निर्णय लें कि तीन दिन से अधिक कोई भी फाइल निर्णय लेने से नहीं रह पायगी और तीन दिन के बाद अगर कोई फाइल निर्णय के लिए रह जायगी तो विशेष स्थिति में उसको माना जायगा, सामान्य में नहीं माना जायगा । लेकिन इसके लिए मंत्रियों को ही सब से पहले आदर्श उपस्थित करना होगा । वे भी अपनी मेज़ों पर फाइलों को ज्यादा देर तक रोक कर न रखें । आज होता यह है कि उनकी मेजों पर महीनों तक फाइलें पड़ी रहती हैं । जब ऐसा होता है तो जो नीचे का अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी या सैक्रेटरी होता है उसको भी मौका मिल जाता है और जो छोटा कर्मचारी होता है उसको भी मिल जाता है कि वह फाइल को अपने पास दबाये रखे और वहीं से भ्रष्टाचार का आरम्भ हो जाता है ।

हमारे बड़े बड़े सरकारी अधिकारी जो सांयकाल के समय यहां दिल्ली की क्लबों में जा कर ब्रिज, फ्लाश इत्यादि खेलते हैं, वहां पर कुछ उद्योगपतियों के प्रतिनिधि भी आते हैं और वे जानबूझ कर उन से हार कर उन का उत्साह बढ़ाते हैं । इस प्रवृत्ति पर भी रोक लगनी चाहिये, कोई चैक होना चाहिये । शराब के चक्कर में भारतवर्ष की गुप्त फाइलें दूसरे देशों को जब दे दी जाती हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार इन जयचन्दों की जो प्रवृत्ति है, इसको कब तक आप सहन करेंगे । इससे मुक्ति पाने में भी कुछ कठोर निर्णय आपको लेने होंगे ।

भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम ने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन में से किसी एक विशेष व्यक्ति पर जिम्मेदारी नहीं डाली है और तय नहीं किया है कि इस प्रश्न का निर्णय लेने की अन्तिम जिम्मेदारी किस की होगी । कोई बात अगर खराब हो गयी तो इसका जवाब इससे तलब किया जायगा । इस प्रकार की स्थिति हम ने अभी तक नहीं बनाई है । इस का परिणाम यह है कि . . .

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis): May I make a submission, Sir? Since this is an important item which is being discussed and the House wants that the time should be extended, let us extend the time. We shall try to meet every point. Let everyone who wishes to speak get an opportunity.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Ministers was here when the Speaker gave the ruling.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain): The whole House is interested in this.

Shri K. C. Sharma (Sardhana): Let us extend the time; let us carry it over to the next session.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): You may discuss with the Speaker and revise the ruling.

Mr. Deputy-Speaker: The Speaker has given the ruling that the time may not be extended. If the Speaker extends the time, I will be too glad. I leave it to him.

Shri Nath Pai: Now the Government is agreeable and the whole House agrees that the time should be extended. You can extend the

time. There is no finality about what the Speaker says. The final authority rests with the House, not even with the Speaker. I am very sorry to say that. It is our right; it is the right of the House. We can extend the time. We can sit as long as we like and nobody can interfere with that.

Shri Surendranath Dwivedy: The House can reconsider it.

Mr. Deputy-Speaker: The Speaker will consider all those things.

Shri Nath Pai: What is this!

Shri Hari Vishnu Kamath: The House is supreme; the House is sovereign.

श्री रामेश्वरानन्द : माननीय मंत्री जी भी तो मैम्बर हैं इस सदन के फिर चाहे वे कांग्रेस में ही क्यों न हों। उन में कोई विशेष बात तो नहीं आ गई है। उन को क्या हक़ हो गया है।

Mr. Deputy-Speaker: Both the statement of the Minister and the opinion of the House will be conveyed to the Speaker.

Shri S. N. Chaturvedi: The question about the extension of the debate may be referred to the Speaker. But the question of giving more time to Mr. Prakash Vir Shastri can be decided at your own discretion.

श्री रामेश्वरानन्द : तीन बार आपने अन्तर्धान किया है। इतने समय में तो वह अपना भाषण भी समाप्त कर लेते।

Mr. Deputy-Speaker: Order order.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): In view of the ruling of the Speaker, I suggest that this may be postponed for the time being and the other motion be taken for two hours and then it may be seen if the time could be conveniently extended.

Mr. Deputy-Speaker: We will go on till 2 o'clock and then we will see.

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर): यह बहुत गम्भीर तथा महत्वपूर्ण मामला है। भ्रष्टाचार की चक्की में सारा देश पिस रहा है और मैम्बरों को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिये।

श्री रामेश्वरानन्द : आप सदन् की इच्छा जान लीजिये।

Shri Sheo Narain (Bansi): Every Member has a right to participate in this.

Mr. Deputy-Speaker: I will see the previous ruling.

Shri Hari Vishnu Kamath: You have the powers now.

Shri Nath Pai: Your duties are more than that of conveying our request to the Speaker. All the powers which are in the Speaker are with you once you occupy the Chair.

Mr. Deputy-Speaker: I know. I would have exercised that power if the Speaker had not given the ruling earlier. Since he has given the ruling, I cannot go against it. I will place the matter before him and we shall certainly consider it.

Shri S. N. Chaturvedi: Is allotment of time tantamount to a ruling?

Mr. Deputy-Speaker: I will give the ruling a little later. (*Interruptions*) Will the hon. Members please sit down?

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Mr. Deputy-Speaker: Will the hon. Member please sit down?

The Speaker has already given the ruling.

श्री राम सेवक यादव : आप सुन तो लें, उपाध्यक्ष महोदय । मैं एक व्यवस्था का प्रश्न

Mr. Deputy-Speaker: I will look into the previous ruling by the Speaker.

Shri Khadilkar: There is no ruling as such. So far as the allocation of time is concerned, it need not be considered as the ruling of the Speaker. It is just an adjustment of time. If we deal with this matter which vitally affects all of us in a casual and cavalier manner, it will create a wrong impression . . .

Shri Hari Vishnu Kamath: ....in the country.

Shri Khadilkar: Therefore, after taking 2 hours on this, we may carry it over to the next session.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: This may be adjourned for the time being and my resolution may be taken up.

Shri Khadilkar: Everybody must have a full say if we are serious about the thing.

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): When a request was made to the Speaker earlier that the debate be postponed to the next session, that was not agreed to, and the Speaker had explained the position thoroughly well. At that time, the Minister of State in the Ministry of Home Affairs did not say anything.

Mr. Deputy-Speaker: I would request hon. Members to bear with me for some time. The Minister of State in the Ministry of Home Agairs, Shri Surendranath Dwivedy and tne Speaker are discussing this question, and I think that the Minister of Parliamentary Affairs is also there with them. After they take a decision, I shall give a ruling, if necessary. Meanwhile, we shall go on with the discussion.

Shri Daji (Indore): Meanwhile, Shri Prakash Vir Shastri's speech has been cut short.

Mr. Deputy-Speaker: He has already taken about half an hour.

Shri Daji: At least, let him be allowed to complete his speech.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय यदि आप द्वारा अन्तर्बाधा न हुई इस प्रकार से तो मैं पांच मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ।

मैं एक चर्चा यह कर रहा था कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा उपाय यह हो सकता है कि जितने भी सरकारी संगठन हैं उन में किसी एक व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार ठहराया जाय । अब तक प्रायः यह देखा गया है कि जब जब भी कोई बुराई पैदा हुई है तो किसी व्यक्ति विशेष पर जिम्मेदारी नहीं ठहराई गई है । इस का परिणाम यह हुआ है कि हम किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते । उदाहरण के रूप में जब भाखरा चैम्बर में पानी भर गया तो किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया । रूरकेला चम्बल कोटा बराज में भी इसी प्रकार की घटना हुई । पीछे इस दिल्ली में सन् १९६२ में जो बिजली की फेल्योर हुई उस समय भी यह पता नहीं लग सका कि कौन जिम्मेदार है । पंजाब गवर्नमेंट दिल्ली वालों को कहती थी और दिल्ली गवर्नमेंट पंजाब को कहती थी । आखिर में जा कर कुछ चुहों को जिम्मेदार ठहराया गया । इसी तरह से वायेस आफ अमरीका का जो इतना बड़ा समझौता दूसरे देश के साथ टूटा, जिस से अपने देश की राजनीतिक प्रतिष्ठा को इतना बड़ा धक्का लगा, उस में आज तक यह पता नहीं लग सका कि किस व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी थी ।

मैं दो साल से पी० ए० सी० का सदस्य हूं । वहां मैं देखता हूं कि जितनी बड़ी बड़ी चर्चायें होती हैं लेकिन सब जा कर यहां रुकती

हैं कोई कहता है कि जिम्मेदार अफसर रिटायर हो गया, कहीं पता लगता है कि आफिसर मर गया, कहीं कहा जाता है कि अफसर पाकिस्तान चला गया । अगर कभी किसी को जिम्मेदार ठहराया भी जाता है तो किसी चपरासी या पहरेदार को जिम्मेदार ठहराया जाता है । इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो अपनी रिपोर्टें दी हैं, हर बार, हर एक रिपोर्ट में बड़ी सावधानी के साथ कुछ निर्णय दिये हैं कि व्यक्ति विशेषों पर जिम्मेदारी जरूर डाली जाय, इस को उपेक्षा की दृष्टि से न देखा जाय । साथ ही इस के लिए कोई सख्त निर्णय भी लिये जायें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो रिपोर्टें हैं उन को सामान्य समझ कर न छोड़ दिया जाय । दूसरे वर्षों में फिर उसी प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस के लिए एक कठोर जांच कमिशन का निर्णय लेना आवश्यक है ।

दूसरी बात जो मैं अन्त में कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरी अपनी इच्छा इस प्रकार की है कि जिस तरह से स्वेडेन में ओम्बुड्समैन नाम की संस्था है जिस के सामने जा कर सब लोग अपना रोना रो सकते हैं, और उसी तरह से दूसरे देशों में, अर्थात् डेनमार्क, न्यूजीलैंड, कैनाडा, वेस्ट जर्मनी और अब तो अमरीका में और इंग्लैंड में भी इस बात पर विचार किया जा रहा है उसी प्रकार भारत में भी कोई संस्था बनाई जाये । भारत के ला इन्स्टिट्यूट ने कुछ विद्यार्थियों के एक संगठन को जानकारी हासिल करने के लिए वहां भेजा था । हम को इस तरह की कोई संस्था यहां भी बनानी चाहिये । जो सतर्कता आयोग है, जिस की चर्चा इस समय बहुत है, उस में मैं ने देखा है कि एक वर्ग विशेष को, जो देश के प्रशासन का सब से ऊंचा वर्ग है, अर्थात् मंत्रियों को, उस में से छोड़ दिया गया है । स्वेडेन की तरह हम को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिये कि उस से कोई भी न बच सके । यह बात मैं विशेष रूप से इसलिए भी कह रहा हूं कि आज हमारे देश में कोई गांधी नहीं है । वह एक ऐसा दरबार था जहां छोटा बड़ा सब जा कर अपना रोना रो सकते थे और अपना दुःख कह सकते थे । इसलिए आज कम से केम केन्द्र में, या राज्यों में, इस तरह की किसी संस्था का स्थापित होना आवश्यक है ।

अन्त में मैं दो तीन वाक्य पढ़ कर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं । भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये इन उपायों को भी सरकार जान ले और काम में लाये तो अच्छा है ।

१. सरकार और पुलिस से भी बड़ा भय ईश्वर और धर्म का होता है इसलिये देश में जो नास्तिकता बढ़ रही है उसे रोकने के लिए शिक्षा में विशेषकर प्रारम्भिक श्रेणियों में धर्म या नैतिकता का ज्ञान आवश्यक कर दिया जाये ।

२. न्यायालय जो आज अधिकांश में असत्य की रक्षा के केन्द्र होते जा रहे हैं, वह सचमुच न्यायालय ही रह सकें इस पर भी कुछ गम्भीर निर्णय लिये जायें ।

३. मंत्रिगण बिना पुलिस और सरकारी अधिकारियों को साथ लिये सामान्य वेशभूषा में जनता में भी जा कर उन के दुःख को सुनें ।

४. अपने सम्बन्धी और जात बिरादरी वालों को जहां तक सम्भव हो अपने विभागों में रखने से बचें । खास तौर से ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्तियों में जो परम्परा यह आज चल रही है उस से अवश्य ही बचें ।

५. उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर मंत्री या विधायक किसी रूप में भी रह कर भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन के अयोग्य घोषित किया जाये ।

Shri Man Sinh P. Patel (Mehsana): It has been accepted by one and all that corruption is increasing day by day and it has been rampant since the Second World War. All Members are agreed at least on this that corrup-

[Shri Man Sinh P. Patel]

tion has definitely increased year by year.

My hon. friend Shri Prakash Vir Shastri has tried to say that corruption may be mainly among the ministerial ranks, in other words, he has indirectly tried to attack the ministerial part of the ruling party. As far as the rooting out of corruption is concerned, we are more concerned with the steps to be taken, and we know the keenness of the new Home Minister to eradicate it, whether the corruption be at the ministerial level or at the ICS level or at the district level or among all classes of the ruling party as a whole.

It is also admitted that nobody can very confidently say that there is no corruption anywhere in the Ministry or that every politician is above corruption. It has also been accepted sometimes that some politicians are proved to be corrupt. But it has been difficult to take action against politicians as well as the civil servants.

In order to eradicate corruption, some steps are being suggested by my hon. friend Shri Prakash Vir Shastri. He says that the teaching of *dharma* or *Ishwar* and the removal of *naastikata* in the country may indirectly result in removing corruption.

12.27 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

I have my own different opinion namely that the people at large have no more patience now, and it will be too late to wait for the new generation to learn *Dharma* or *naitikata*. The steps should be taken just now and as early as possible. Otherwise, we shall only strengthen the overall impression about politicians which prevails among the people now. Today, the politicians as a class or as a whole are looked down upon with a contemptuous eye, and it is felt that they have some indirect motives on economic life. Therefore, their whole political life is looked down upon with a contemptuous attitude. Why should this happen? There is a fear created amongst the people that they cannot get their work done unless some money is paid....

Mr. Speaker: Order, order. I have to bring to the notice of Members that the rule that Members should not come in between the Member who is speaking and the Chair is mostly being observed by flouting it. That rule is mostly ignored. At least after two years of this Parliament I would request hon. Members to observe that rule more strictly.

Shri Hari Vishnu Kamath: Even those on the Treasury Benches are guilty sometimes.

Shri Man Sinh P. Patel: We are more concerned now with the steps taken to eradicate corruption. We had recently the announcement by the Home Minister about the setting up of the Central Vigilance Commission. Shri Prakash Vir Shastri has said, that he has no hope in the Central Vigilance Commission announced by Shri Nanda. That means that he has no hopes in the anxiety, zeal and enthusiasm which Shri Nanda has displayed in tackling this problem. We hope that the new Home Minister will be able to succeed, especially, when he has taken this attitude of saying that if within two years corruption is not rooted out, at least he will reconsider his political life.

Mr. Speaker: Is the hon. Member going to associate himself with those sentiments?

Shri Man Sinh P. Patel: Surely.

As far as I am concerned, I associate myself with those sentiments. I take pleasure in announcing that sometimes we politicians ourselves have to take some moral vows before the public that we can stand above corruption. As I was saying earlier, we politicians are often looked down upon with a contemptuous eye, and among the term 'politicians' I include

myself and one and all. Why is there this kind of contemptuous attitude? The Opposition Parties try to accuse the ruling party and the Ministers. The ruling party generally tries to accuse the officers as a whole. And sometimes, they in turn accuse the rural masses or the people as a whole.

It cannot be denied that corruption today is rampant all over the country, and it is existent at every farthest corner of society; it is only very few persons who are above corruption. I know that there are many who may not be corrupt by themselves, but when they know that corruption will help them to get their things done, they indirectly encourage corruption and they connive at it, at whatever level it may be.

My hon. friend tried to say that the Prime Minister has set an example and it should be followed by others. Only if a concerted effort is made by one and all, we can succeed in this.

What are the other steps he suggested? As I said, people have lost patience with the ruling party and the politicians. Unless corruption is reduced by a substantial percentage, say, 40, 50 or 60 per cent., political life in the country will be suspect and the people will have their own opinion of us. I do not think corruption can be totally eliminated; that is physically humanly impossible. But we can see that there is a substantial reduction in it.

We have a democratic government. A beginning should be made by Ministers. There I agree with him. There should be a code of conduct and behaviour for politicians. They should declare their assets. I go further and say that in the nomination form itself, there should be a solemn affirmation along with a statement of assets held by the candidate attached as appendix to it. The Constitution may be amended, if necessary, for the purpose. Now *prima facie* a politician is understood to be dishonest. Let us reverse this process; let there be an oath or affirmation disclosing the assets so that people's suspicion may be removed.

It is not a crime to earn money, but it is a crime to earn it by dishonest methods, by exercise of undue influence or by misbehaviour or by cheating or corrupt methods.

Similarly for the services, the Public Service Commission should see that every government servant discloses his assets, his family's assets and the assets of close relatives. This will act as a check on accumulation of wealth by dishonest means.

Then there should be a Vigilance Commission appointed. The procedure of the work of the Commission should be simplified so that action is taken against corrupt ICS or other personnel quickly. In our experience after the second world war, we have found that whatever cases are reported by State or Central Governments are of officers below the second grade. There are very few cases of class I officers being involved and very few cases of high-class politicians being involved. The major attack should be on the big people, politicians, ICS people, traders and the business class. If some strong measures can be taken against such personnel, an impression can be created in the mind of the average man that we are keen on rooting out corruption. Therefore, if Shri Nanda is keen on rooting out corruption within two years, he must constitute a judicial authority or Commission to scrutinise the public life of politicians and Ministers. Till we do that, people will have no faith in our professions.

Why is corruption prevalent? It prevails for economic reasons. It is more rampant in the export and import field. Also in the police department, it prevails in connection with squaring up cases of murder, arson, dacoity etc. even in the preliminary registration stage. The whole department works as a homogeneous team. From the PSI to the DIG, they have a

[Shri Man Sinh P. Patel]

common interest in this transaction. Same is the case in the export-import department. From the filing clerk to the granting clerk, there is a common interest running through. So any action taken should embrace the whole range of this affair.

Then I would suggest that wherever possible advisory committees should be formed. Non-officials should be associated with such committees. No elective person should ever be associated with these committees. Otherwise, they will be indirectly connected with this and they are likely to connive at these things. These bodies should consist of non-officials who are above all politics. Their advice should be taken. Their advice can be relied upon as impartial.

Then we have to consider the economic barrier that at present exists between the higher class people and the lower class people. There is an inherent desire to profit oneself in order to maintain or enhance one's own status. This also contributes to corruption in public life. Some action should be taken to tackle this problem also.

As Shri Shastri said, the maximum measures should be taken, if possible, within the remaining period of the Third Plan, so that before the coming elections, the impression is created in the country that this Government as well as the Members of this House are very keen and desirous to root out corruption from our public life.

डा० राम मनोहर लोहिया : (फ़र्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जो बहस आज देश में मुंह मुंह पर है और रोज हो रही है, जिस बहस को लोक-सभा में खुद सरकार को रखना चाहिए था, वह आज आखिरी दिन किस हालत में हो रही है, यह भी एक नमूना है संसदीय दुराचार का ।

भ्रष्टाचार . . . . .

श्री शिव नारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह "दुराचार" का शब्द अनपार्लियामेंटरी है ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर, आप बैठ जायें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब कोई जरा सी बात भी लोगों की समझ में नहीं आती । नियम होने चाहियें, अच्छे नियम होने चाहियें । कहीं कहीं बुरे नियम भी होते हैं । फिर उन नियमों के ऊपर कारंवाई ठीक तरह से होनी चाहिये । घूसखोरी होती है, पक्षपात होता है । यह सब भ्रष्टाचार में आता है । केवल घूसखोरी नहीं आती ।

अध्यक्ष महोदय : मगर मैं आप से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो भी नियम हैं वे हाउस के बनाए हुए हैं और हम उन्हीं के मुताबिक चल रहे हैं । अगर उन के अनुसार न चलें तो आप कह सकते हैं कि यह गलती है या बुराई है, यहां तक भी आप कह दें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं । मगर अगर हम नियमों के अनुसार चल रहे हैं और उसको आप दुराचार कहें तो यह मुनासिब नहीं है । यह तो हाउस के ऊपर बहुत बड़ा रिफलेक्शन है । आपने कहा कि नियम अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं । आपको इन नियमों को बुरा नहीं कहना चाहिये था । अगर माननीय सदस्य को नियमों से इत्तिफाक नहीं है तो उनको हक है कि वह उनको तबदील कराने की कोशिश करें, उनके खिलाफ बेशक आवाज उठायें । लेकिन जब तक वे नियम हैं और उनके मुताबिक कारंवाई हो रही है, तो यह कहना कि यह दुराचार है, मुनासिब नहीं मालूम होता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं उस बहस में नहीं पड़ूंगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आप की सेवा में यह कह देना चाहता हूं कि दुराचार और करप्शन या भ्रष्टाचार, ये सब एक से ही शब्द हैं और जब हम इस

प्रश्न पर विचार करें, तो सोचें कि भ्रष्टाचार गंगोत्री पर हो रहा है, इसलिए गंगा के निचले मैदानों पर सफ़ाई करना अब बिल्कुल व्यर्थ है । और जब गंगोत्री पर सोच-विचार करते हैं, तो मैं सभी माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि वे जरा नम्रता से बातें सुनें, गुस्सा मुझ पर न करें, गुस्सा करें उस हालत पर, जिस में आज हिन्दुस्तान सड़ता चला जा रहा है । मैं कोशिश करूंगा कि मेरा गुस्सा भी कुछ थमा हुआ रहे, लेकिन मैं चाहूंगा कि दूसरे माननीय सदस्य भी अपने गुस्से को कुछ थाम कर बैठें । अगर मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल जायें, तो वे जरा इस बात पर ध्यान दें कि इस सड़ांध को दूर करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सब मेम्बर साहबान से दरख्वास्त करूंगा कि जब तक डाक्टर साहब बोलते रहें, वे अपने गुस्से को थामे रखें । (*Laughter*) मैं हंसी की बात नहीं कर रहा हूं । मैं डाक्टर साहब से भी कहूंगा कि वह भी अपने आप को काबू में रखें । (*Laughter*) मैं हंसी की बात नहीं कर रहा हूं । इस में मज़ाक नहीं आना चाहिए ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, जितना हुक्म मैं ने आप का माना है, एक आदमी को छोड़ कर सारी जिन्दगी में किसी और का हुक्म उतना नहीं माना है (*Laughter*) और इसलिए मेरा गुस्सा बिल्कुल रहा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आप को यकीन दिलाता हूं कि जितना मैं मशकूर हूं आप का, उतना बहुत कम आदमियों का हूं । (*Laughter*)

श्री बागड़ी : मेरा नाम काट दिया ?

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आशा करता हूं कि यह सम्बन्ध आगे भी चलता रहेगा, हालांकि कभी कभी बड़ी परेशानी हो जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी कोशिश तो यही रहेगी ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरी तरफ़ से रहेगी, लेकिन मैं आप से फिर अर्ज किये देता हूं कि संसद् की इन प्रणालियों में मुझ जैसे आदमियों के लिए हमेशा दिल थाम कर बैठना पड़ता है । बहस नहीं हो पाती है, जिन पर कि होनी चाहिये ।

खैर, मैं कह रहा था कि भ्रष्टाचार गंगोत्री पर है । कानून का राज्य हिन्दुस्तान में नहीं रह गया है, मनमानी का राज्य हो रहा है । नियम अच्छे नहीं हैं, या उन का पालन नहीं होता है । नतीजा होता है कि सरकार के कामों में पक्षपात भरा हुआ है । उस पक्षपात में लोगों को पैसे का फ़ायदा होता है या नहीं, यह दूसरे नम्बर का सवाल है । पक्षपात, मनमानी, घूसखोरी और नियमों की अवहेलना, ये सब भ्रष्टाचार में समझे जाने चाहिएं ।

और भ्रष्टाचार है क्या ? सिर्फ़ ईमान की कमी नहीं है, समझ की भी कमी है । मैं इस वक्त संसद् में भी इस बात की कमी पाता हूं कि लोग भ्रष्टाचार को केवल बेईमानी समझते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल बेईमानी नहीं है यह नासमझी भी है । आज हिन्दुस्तान और दुनिया का जो स्वरूप हो गया है, उस में जब तक हम समझ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और यह जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या अवस्था है, जिस में भ्रष्टाचार निकलता है, क्या है भ्रष्टाचार, क्यों है, उस के कौन से कारण हैं, कहां कहां हैं, क्या उस के रूप हैं, आदि तब तक हम भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पायेंगे । इसी समझ के फेर को मैं अब भी सरकार में पूरी तरह से पाता हूं क्योंकि जो आखिरी तरीका सरकार ने भ्रष्टाचार को दूर करने का निकाला है, केन्द्रीय निगरानी कमीशन का, उस के क्या

[डा० राम मनोहर लोहिया]

मानी होते हैं ? यह कि जहां कहीं भ्रष्टाचार होगा, उस को केन्द्रीय निगरानी कमीशन पकड़ेगा । यह तो इलाज का तरीका है । जब कोई पाप हो जाये, तो उस पाप की सज़ा देने वाला तरीका है । वह तरीका अभी तक सरकार के सामने नहीं है कि भ्रष्टाचार का निरोध किया जाये, उस को रोका जाये ।

भ्रष्टाचार की एक रोक की दृष्टि होती है और एक इलाज की दृष्टि होती है । मैं सब से पहली बात यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय निगरानी कमीशन में रोक की दृष्टि बिलकुल नहीं है, केवल इलाज की दृष्टि है । और यह फ़ेल हो कर रहेगा, उस का एक बहुत बड़ा कारण मैं आप को बताये देता हूं कि जब कभी कोई बड़ा आदमी पकड़ा जायेगा, तो वह छूट जायेगा और सिर्फ़ छोटे छोटे लोगों को सज़ा मिलेगी । तो इलाज की दृष्टि से भी यह तरीका बिल्कुल नाकामयाब साबित होगा और जहां तक रोक का सवाल है, गृह मंत्री के सामने उस का तो कोई तरीका ही नहीं है ।

मैं आप को एक बात और बताऊं कि आज हिन्दुस्तान ने अच्छे अच्छे तरीके निकाल लिये हैं—एवज़ी सजा तक के तरीके निकाल लिये हैं । जब शराबबन्दी के मामले को ले कर लोग गिरफ्तार हुआ करते थे तो अवैध शराब बनाने वालों ने अपने बीच में से कुछ लोगों को इसलिए निकाल दिया कि भई, पुलिस को खुश करने के लिए इतनी तादाद में तुम पकड़े जाया करो, इस से पुलिस भी खुश रहेगी, मंत्री भी खुश रहेंगे और हमारा धंधा चलता रहेगा । अगर बहुत जरूरी हुआ, तो उसी तरह की एवज़ी गिरफ्तारी करवा कर लोग केन्द्रीय निगरानी कमीशन को बिल्कुल थोथा और बांझ बना डालेंगे ।

उस के अलावा मैं आप का ध्यान गृह मंत्री के उस बयान की तरफ़ दिलाना चाहता हूं, जिस में उन्हों ने कहा कि साधु-सन्त और जनमत तथा समाज के नेता लोग इस सवाल को ठीक कर सकते हैं और हमारे यहां जो भी भ्रष्टाचार है, उस को दूर कर सकते हैं । आखिर यह नैतिकता है क्या ? क्या यह साधु-सन्तों की चीज है ? आज राजनीति और आर्थिक जीवन दुनिया में इतने पेंच हो गए हैं कि यह साधु-सन्तों वाला मामला नहीं रहा है कि जा कर लोगों को कहा जाय कि तुम सच्चे हो जाओ, ईमानदार हो जाओ, और उस से सब मामला सच्चा और ईमानदार हो जायेगा ।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो मंत्री सब से ज्यादा सच्चाई की, ईमानदारी की, जात के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वह सब से ज्यादा अपनी जात-बिरादरी के पक्षपात का काम किया करते हैं । और आप जानते हैं कि कौन मंत्री हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा जात के खिलाफ बोलता है, वही मंत्री आज जात के मामले में सब से बड़ा दोषी है, यह मैं अच्छी तरह से कहना चाहता हूं ।

इसलिए यह मामला समझ का है और मैं आप को समझ का एक और उदाहरण दिये देता हूं । बहुत दिनों पहले मैं ने भी उस प्रस्ताव को माना था—तब मेरी समझ भी कुछ कम थी—कि पांच सौ रुपये महीने से ज्यादा न तो किसी मंत्री को, और न किसी सरकारी नौकर को, दिया जाये । लेकिन वकील, डाक्टर, व्यापारी और जागीरदार, इन सब की आमदनियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई । यह कैसे हो सकता है कि चारों तरफ़ तो लालच का

समुद्र बहता रहे और बीच में एक छोटा सा टापू मंत्रियों और सरकारी नौकरों के लिए बना दिया जाये--कर्तव्य का टापू। वह कर्तव्य का टापू बह कर रहेगा। लालच का समुद्र उस को बहा डालेगा। इसलिए यह बहुत बड़ा प्रमाण है कि यह मामला समझ का है।

इस के अलावा मैं आप का ध्यान इस तरफ़ भी दिलाऊं कि लोग कहने लग गए हैं कि भ्रष्टाचार तो जीवन का अंग बन गया है और मैं फिर बड़ी नरमी से--अभी मेरे मुंह से शब्द निकल रहे थे "मेरे पुराने कांग्रेसी साथियों से", लेकिन दिमाग़ नहीं कहता कि मैं उन शब्दों को कह दूं, दिमाग़ नहीं कहता, मन कभी कभी फिसल जाता है--यह अर्ज़ करूंगा कि ज़रा सोचो कि गांवों में जा कर क्या क्या प्रचार किया करते हो। यह कि हमारा पेट तो भर चुका है और अगर आप उन को वोट दोगे, जिन का पेट ख़ाली है, तो वे आ कर पेट भरेंगे। गांव वाले सोचते हैं, "हां, भई, बात तो सही है, न कांग्रेस वालों ने खा खा कर अपना पेट भर लिया है। अगर किसी और पार्टी को लायेंगे, तो वह नये सिरे से खायेगी। इसलिए अच्छा है कि इन घूसख़ोरों को ही सरकार में रहने दो।" (Laughter) यह हंसने की बात नहीं है। यह इतनी लज्जा की बात है। मेरा मन भी व्याकुल हो जाता है कि सारे हिन्दुस्तान को आज भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाया जा रहा है निर्वाचनों के ज़रिये।

उस के अलावा एक बड़ा भारी सिद्धान्त निकाला गया। अर्थ-शास्त्रियों ने निकाला, हिन्दुस्तान के अर्थ-शास्त्रियों ने, कि जब कभी कोई पिछड़ी आर्थिक व्यवस्था तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी, माल ज्यादा होगा नहीं, पैदावार के ढंग पुराने होंगे, तो उस में भ्रष्टाचार लाज़िमी है। मैं समझता हूं कि बात तो मैंने बिल्कुल साफ़ कह दी, लेकिन चूंकि अंग्रेज़ी को कम जानने वाले लोग हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वे "डेवेलपिंग इकानोमी" कहा करते हैं --कहा करते हैं कि डेवेलपिंग इकानोमी में तो भ्रष्टाचार आवश्यक है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल झूठा सिद्धान्त है। अगर कोई आर्थिक व्यवस्था सुधारनी है, जोकि कमज़ोर है, पिछड़ी है, तो उस में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और उस का एक नमूना मैं आप को दिये देता हूं। हालांकि महात्मा गांधी का देना चाहिए, लेकिन मैं रूस का देता हूं।

रूस ने लगातार चालीस, पचास बरस तक इस बात का ख़याल नहीं किया कि उस के यहां इस्तेमाल की चीज़ें कैसी बनती हैं। उस्तरा वे ऐसा बनाते थे कि जिस से दाढ़ी बनाते हुए छिल जाये। विदेशी लोग वहां की यात्रा कर के आ कर कहते थे कि रूस में तो खपत की चीज़ें बहुत ख़राब हैं। लेकिन वे अपनी पैदावार की बुनियाद को बना रहे थे, खपत में अपने पैसे को बरबाद नहीं कर रहे थे। इस तरह से अगर हम भी अपने देश में खपत के ऊपर ज़ोर न दे कर के पैदावार पर ज़ोर दें तो यह भ्रष्टाचार का मामला इतना किसी भी सूरत में नहीं बढ़ सकता था।

सिंहासन और व्यापार के सम्बन्ध की तरफ भी मैं आप का ध्यान खींचूंगा। यह संबंध जितना हिन्दुस्तान में दूषित, भ्रष्ट, बईमान हो गया है, उतना दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। व्यापार और सिंहासन का सम्बन्ध अमरीका इंग्लिस्तान, जर्मनी आदि किसी भी देश में इतना नहीं बिगड़ा जितना यहां बिगड़ा है। सिद्धान्त बतलाने के बजाय मैं आपको एक मिसाल देता हूं। नेशनल मोटर्ज़ पंजाब की एक कम्पनी है। उस कम्पनी को चलाने वाला मंत्री का

[डा० राम मनोहर लोहिया]

बेटा है । उसे सरकार से लाइसेंस, सरकार से कोटा आदि मिल जाया करता है । वह पैसा बनाया करता है । जब सवाल उठता है तो कहा जाता है कि तुम इस उदाहरण को क्यों लाते हो, क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने कहीं किसी से सिफारिश की है कि तुम मेरे बेटे के लिए फलां फलां लाइसेंस दो, कागज दिखाओ कि उसने ऐसा किया है, दूसरी बातें बतलाओ । मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं । हमें केवल यह देखना है कि क्या किसी बेटे या बेटी या रिश्तेदार ने तथा मेरी तो यह राय है कि दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों ने, उनके सम्बन्धी के सिंहासन पर बैठने के कारण कोई लाभ उठाया है या नहीं । आज हिन्दुस्तान में यही कसौटी रहनी चाहिये कि सिंहासन पर बैठे हुए लोगों की मदद ले कर के क्या किसी ने लाभ उठाया है व्यापार में ।

और कसौटी मैं आप के सामने रखना चाहता हूं । बहुत ज्यादा कहा जाता है कि क्या मंत्रियों के बेटे नहीं हैं ? इस का पहला जवाब दतो यह है कि क्या दूसरेां के बेटे नहीं हैं ,क्या खाली मंत्रियों के ही बेटे हैं जो हमेशा हमेशा हर तरह से फायदा उठाते रहेंगे । लेकिन आज की स्थिति में हमारी आर्थिक व्यवस्था में, एक हिस्सा है होड़ वाला, खाली होड़ वाला और दूसरा हिस्सा है, परमिट, कोटा, लाइसेंस इत्यादि वाला । इन दोनों में में अन्तर करना सीखना चाहिये । स्वतंत्र देशों की बात कही जाती है, जर्मनी, इंगलिस्तान वगैरह की बात कही जाती है, जो खाली होड़ वाले हैं, ज्यादा तर खुला होड़ वहां होता है, सरकारें कोई दखल नहीं देती हैं । ज्यादा तर वहां यही स्थिति है । अगर यहां पर मंत्रियों के बेटे ज्यादा अक्लमन्द हैं बेटियां ज्यादा अक्लमन्द हैं और इस में मैं उनके रिश्तेदारों को भी शामिल करता हूं तो उन्हें खुले व्यापार की होड़ में डाल दो और अगर तब कोई उस का लड़का तरक्की कर सके तो करे । लेकिन ऐसा कोई व्यापार जहां पर कि मंत्री को कोई कोटा या परमिट या लाइसेंस देना पड़ता हो, उस में मंत्री के दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं आना चाहिये । जब तक यह सिद्धान्त आप नहीं अपनाते हैं, तब तक सिंहासन और व्यापार का सम्बन्ध बिगड़ा हुआ ही रहेगा ।

अब मैं दूसरी चीज नौकरी के बारे में कहता हूं । कोई भी सिंहासन पर बैठा हुआ आदमी अपने रिश्तेदारों को ऊंची ऊंची नौकरियां न दिलवा सके, इस के बारे में भी कोई तरीका निकाला जाना चाहिए । आप इसका भी सबूत पूछेंगे । सबूत यह है कि उसको और तरीके से वह नौकरी नहीं मिलती है, पहले नहीं मिली थी, ज्यों ज्यों अब्बा जान तरक्की करते हैं, अपने मंत्री पद में, त्यों त्यों बेटा जान भी तरक्की करते हैं व्यापारी महकमे में । यह इतना बड़ा सबूत है कि इस को झुटलाया नहीं जा सकता है । इस सम्बन्ध में भी कोई नियम अच्छी तरह से बना दिया जाना चाहिये । .

चन्दे का जो तरीका है, व्यापारी संस्थाओं

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : आप की पार्टी भी तो पाती है ।

डा० राम मनोहर लोहिया: ज़रा ज़ोर से बोलिये ।

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी भी तो इसी तरह से चल रही है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : कैसे चलेगी ? कहां चल रही है ? मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को मिनटों में खत्म कर दूं । लेकिन कहां चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, आप मेरी तरफ देखिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप की ही तरफ देख रहा हूं । लेकिन कभी कभी . . .

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि कान भी दूसरी तरफ न रखें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या करूं । थोड़ी सी रुई मिल जाय तो कान में डाल लूं । बड़ा मुश्किल हो जाता है ।

मैं अर्ज करूं कि मैं पुराने हिन्दुस्तान की आखिरी राजधानी का नुमाइंदा हूं । पुराने हिन्दुस्तान की आखिरी राजधानी जिस को कन्नौज कहा जाता था, उस के नुमाइंदे की हैसियत से मैं इस नई राजधानी के मुताल्लिक कुछ साहित्यिक शब्द कहने वाला था लेकिन मुझे डर लग रहा है कि शायद ठीक समझें या न समझें ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी अक्ल पर मुनहसर है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : दिल्ली की राजधानी बहुत नई है, कुल सात आठ सौ बरस समय की सब से खूबसूरत कुलटा है । इस में कोई सन्देह नहीं है क्योंकि वह कभी भी विदेशी हमलावरों के सामने टिक नहीं पाई । सात आठ सो बरस का इतिहास राजधानी का है, इसको में संदेश देना चाहता हूं । कन्नौज से अभी मैं आया हुं, उसको देख कर आया हूं । वहां नाला था । उससे पानी बहा करता था, गन्दगी हट जाती थी, बरसात या बाढ़ के मौके पर लोगों को तकलीफ नहीं होती थी, । नाला कोई छः सात सौ साल बरस पुराना है । वह अब नाला भर गया है, समय ने नुकसान किया है । मिट्टी आ गई है । साथ ही एक नुक्सान यह भी हुआ है कि ५०–६० आदमियों ने वहां की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, खेती करने लग गए हैं, कुछ सब्जी वगरह बोने लग गए हैं । इस लिय मैं निवेदन करूंगा कि मामला एक तरह से हजार डेढ़ हजार बरस के रोग का है और दूसरे पन्द्रह बरस के कोढ़ का है डेढ़ हजार बरस का जो रोग है, मैं चाहता हूं कि हमेशा उसी के बारे में ज्यादा बोलूं क्योंकि यह जो पन्द्रह बरस वाली चीज़ यह तो केवल वक्ती चीज़ है । ये सब मंत्री प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री आते जाते रहते हैं, करोड़ों की तादाद में आते जाते रहते हैं । मैं अपने मन को कभी कभी अच्छी तह से रोक नहीं पाता हूं । उसका कारण यह है कि वक्त कम देते हैं वर्ना अभी तक डेढ़ हजार बरस के रोग का इलाज जोकि आज इस पन्द्रह बरस के कोढ़ में जा कर जमा हुआ है, उसको मैं विस्तार से बताता कि डेढ़ हजार दबरस वाला रोग क्या है? हिन्दुस्तान एक घर नहीं है, एक हजार या दस हजार घर बन चुका है । जितनी जातियां है, उन में लूट मची हुई है, उन जातियों की अपनी अपनी सोचने की दृष्टि हो गई है, उनका स्वार्थ, उनका न्याय, उनका सोचना, उनका विवेक आदि जो हैं, इन सब का मतलब बदल गया है । सोचने और बोलने की भी दीवाल, इंसाफ और नाइंसाफ के बीच की दीवाल, ईमानदारी और बईमानी के बीच की दीवाल ऐसे वक्त में गिर जाया करती है, जहां अपने खुद के घर का सवाल उठाता है । इन दस हजार घरों में यह हिन्दुस्तान लुटा हुआ है, पिछले डेढ़ हजार बरस से लुटा हुआ है । जब तक आप फर्क नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार बन्द नहीं हो सकता है क्योंकि हर आदमी सोचेगा कि मैंने अपनी जात, अपनी बिरादरी, अपने बेटों आदि के लिये कुछ किया तो इस में क्या बुरा किया, अच्छा ही किया । हमारे पुराने जो ग्रन्थ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा । उन से यह परम्परा चली आई है कि अगर कोई आदमी बड़ी जगह पर पहुंच जाए तो अपने लोगों को फायदा पहुंचाय । अभी तक वह चीज़ चली आ रही है ।

उसी के साथ साथ मुझ पर लांछन लगाया जाता है । आपने देखा होगा कि मैंने प्रधान मंत्री के बारे कुछ नहीं कहा है और

[डा० राम मनोहर लोहिया]

बहुत कम मैं कहा करता हूं। लेकिन जब मुझ पर लांछन लगाया जाता है तो मैं वक्ती बात उठाता हूं। बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी सारी जिन्दगी में माननीय प्रधान मंत्री के बारे में एक भी वैयक्तिक बात नहीं उठाई है। हमेशा वह बात उठाई है जो शासन से सम्बन्ध रखती है। अब अगर उनके शासन काल में उनके कुटुम्ब, उनकी बिरादरी के लोग हमेशा तरक्की पाते रहें तो यह वैयक्तिक चीज नहीं, यह सार्वजनिक चीज़ है। इसके जवाब में कह दिया जाता है कि क्या करें अगर उन में योग्यता ह तो। अगर आप प्रधान मंत्री होते तो इस वक्त सब से ज्यादा योग्यता कहां होती। अगर वित्त मंत्री प्रधान मंत्री बन जायें, जैसे अभी भी कभी कभी सुना जाता है कि शायद हो जाएं तब आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान के सब से ज्यादा योग्य आदमी तमिल, अयंगार हो जायेंगे, इस में कोई सन्देह नहीं है। इस तरह से योग्यता की कसौटी अपने देश में चलती रहती है। जब कोई बड़ा आदमी उससे भी बड़ी जगह पर पहुंच जाता है तो उसके कुंबे के सारे लोग, बिरादरी के सारे लोग इतने लायक बन जाते हैं कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता है, बाकी लोग कोई हैसियत ही नहीं रखते हैं। यह जो सिलसिला है इसको हमें बदलना पड़ेगा। जब तक हम चार हजार या दस हजार घरों की अलग अलग दीवालों को नहीं तोड़ेंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है।

एक तरफ तो जबर्दस्त भूख है। साढ़े ४३ करोड़ लोगों की भूख है और दूसरी तरफ पचास लाख लोग यूरोप और अमरीका की नकल करते हुए लगातार अपने जीवन स्तर को बढ़ाने की सोचते हैं, आज हिन्दुस्तान का क्या आदर्श बन गया है। कुर्सी बढ़िया लो, फर्निचर बढ़िया लाओ। ये कह देते हैं कि फलां के यह चूंकि बड़ा बढ़िया सोफा देखा है, यहां क्यों नहीं आ जाता है। जब मंत्रियों और उनकी बीबियों के मन में ऐसे विचार बनते और पनपते रहेंगे तो कहां से सदा ार कायम रह सकता है। एक तरफ साढ़े ४३ करोड़ की भूख, इतनी जबर्दस्त भूख कि उस के सामने ई ानदारी और बईमानी कुछ नहीं रह जाती। मैं आप से कहना चाहता हूं कि दो पैसे और चार पैसे के लिये साढ़े ४३ करोड़ भी बईमान हो सकते हैं लेकिन ५० लाख लोग लाखों करोड़ों लोगों के लिये बईमान होते हैं। एक तरफ तो एसे लोग हैं जो अपनी तन्ख्वाह से सौ गुना, पांच सौ गुना ज्यादा खर्च किया करते हैं और दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि प्रशासन में लगे हुए जितने भी आदमी हैं वे कम से कम चौगुना अपनी तन्ख्वाह का खर्च किया करते हैं। इस तरह से यह जरूरी हो गया है कि हम ने पन्द्रह वर्षों में जो कोढ़ इकट्ठा किया है उस को हम धोयें। मैं इस बात को माने लेता हूं कि एक अच्छा आदमी भी आता तो भी शायद यह सिलसिला चलता। यह तो देश का दुर्भाग्य है कि यहां के बड़े आदमी, और मैं आप से कह दूं कि हुजुर को तो मैं ज्यादा जानता नहीं इस लिए शायद आप को भी शामिल कर लूं लेकिन महात्मा गांधी को छोड़ कर मूझे अभी तक .....

13 hrs.

अध्यक्ष महोदय : जरा एक मिनट माननीय सदस्य बैठ जायें। मैं मेम्बर साहबान से दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ डाक्टर साहब के लिये ही नहीं, कई दफे बात चीत आई है स्पीकर की।

No comments should be offered, whether complimentary or critical so far as the Speaker is concerned. Complimentary remarks can be offered only when he is elected and critical only when there is a motion for his removal. There are the only two points. Otherwise, he should be left alone and never referred to.

Shri Tyagi (Dehra Dun): We have to acknowledge it when a fair and just ruling is given.

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझे माफ कीजियेगा । कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं की थी, फिर भी मुझे माफ कीजियेगा । तो जरूरी हो जाता है कि हम इन दोनों अवस्थाओं का इलाज निकालें । एक तो महान गैरबराबरी, ऐसी भूख जो लोगों को बेईमान बनाती है और दूसरी जीवन स्तर को लगातर ऊंचा करते रहने की इच्छा जो लोगों को बईमान बनाती है । मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा ध्यान देना । मैं सदन के सदस्यों से कह रहा हूं, आप तो ज्यादा ध्यान दीजियेगा ही । महात्मा गांधी का युग तो सादगी और कर्तव्य का युग था, माननीय प्रधान मंत्री का युग फैशन और विलासिता का युग है । इन पचास लाख लोगों के लिये आप इस बात का ख्याल नहीं करते कि सारे देश की सामान्य अवस्था क्या है । जब केवल योरप और अमरीका के जीवन स्तर की नकल किया करते हैं, जब इस बात को नहीं सोचते कि योरप और अमरीका ने अपना जोवन स्तर, आज वाला, हासिल किया है ३०० वर्षों की लगातार मेहनत से, अपनी खेती और कारखानों को सुधार कर, अपनी पैदावार को बढ़ा कर, बिना पैदावार बढ़ाये हुए हम उस खपत की जब नकल करत हैं तो भ्रष्टाचार आवश्यक हो जाता है । इस लिये यह दो खास बातें मैं आप के सामने रखना चाहूंगा ।

इसी तरह से इस सरकार ने सत्य का मुंह हिरण्य के पात्र से ढक कर रक्खा है । मैं इस तरह दो या ढाई हजार वर्ष पुराना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं । सत्य का मुंह सोने के बरतन से ढक कर रखा गया है । आप देखेंग कि जीवन की हर एक दिशा में चाहे वह सेवक हों, चाहे साधु हों, चाहे वह सुधारक हों और चाहे एकेडेमी वाले हों, चाहे और किसी पढ़ाई लिखाई के दायरे में हों, जो लोग मंत्री नहीं बन सकते या बनना नहीं चाहते, उन लोगों का मुंह आधा या पूरा बन्द रखने के लिये सरकार बहुत ज्यादा रुपया खर्च किया करती है । मेरा अनुमान है कि पंचवर्षीय योजना और सरकार से सम्पूर्ण खर्च में से जो कुल ५० अरब रुपया साल भर में है, यह सरकार कम से कम २ अरब रुपया केवल सत्य का मुंह सोने से ढकने के लिये खर्च किया करती है । अगर उन का मुंह बन्द न किया गया होता, तो मेरी बातें जल्दी फैलतीं । उन के ऊपर विवाद होता, उन पर सोच विचार होता । लेकिन चारों तरफ से विचार का गला घोट दिया जाता है क्योंकि यह लोग खुश रह जाया करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करने की तरफ आयेंगे । मैंने उन को काफी वक्त दे दिया ।

श्री किशन पटनायक (सब्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम इस चर्चा में है । इस लिये मैं अपना समय उन को देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे तो मेम्बर एक दूसरे को समय नहीं दे सकते । आप पांच मिनट और ले लीजिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : सिर्फ उन का वक्त दे दीजिये । मैं और किसी का वक्त नहीं लूंगा । मैं श्री उटिया और बागड़ी का वक्त नहीं लूंगा । सिर्फ श्री किशन पटनायक का वक्त लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने तो यह पहले ही फर्ज कर लिया कि उन में से हर एक को वक्त मिलना है ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो मिलना है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब मैं आप से अर्ज करूंगा कि सच बोलना तो बहुत जरूरी होता है । उस के बिना सदाचार आ ही नहीं सकता । सच बोलना आज राजनीति में प्राय: खत्म हो रहा है । मान लीजिये

[डा० राम मनोहर लोहिया]

मैं किसी चीज में फंस गया हूं और अगर मैं सच बोलूं तो मेरी गलती सामने आ जाये, तो अपनी गलती को छिपाने के लिये मैं झूठ बोल कर अलग हट जाना चाहता हूं। लेकिन झूठ बोलना एक फंसान हो जाता है। समझ लीजिए कि मुझे वाशिंगटन पहुंचना है सोमवार को सुबह, दस बजे। लेकिन मैं देखता हूं कि मैं वहां पहुंच नहीं सकता हूं, और यह कह कर एक फंसान नकाल सकता हूं, तो झट से कह देता हूं कि मेरी वहां जाने की इच्छा थी लेकिन जा नहीं सकता था क्यों कि मेरे पास कोई साधन नहीं थे। लेकिन आम तौर से जो झूठ बोला करता है वह ऐसी बात कहता है कि उसी में वह फंस जाया करता है, क्योंकि वाशिंगटन और लन्दन में कम से कम पांच घंटे का समय भेद है। जब मैं यह कह दूं कि मैं लन्दन तो सुबह पहुंच जाता तो उस के साथ मैंने यह भी कह दिया कि मैं वाशिंगटन भी उसी वक्त पर पहुंच जाता। इसी तरह से . . .

श्री त्यागी : यह ठीक नहीं है। छिप कर बात करनी . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : त्यागी जी गड़बड़ा रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ रहा हूं त्यागी जी। मैं डाक्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जिस को मैंने एक तरह से नामन्जूर कर दिया, तो क्या वे मुझ को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि उस को वे दूसरे ढंग से पेश केरेंगे तो मैं नहीं समझूंगा। वे ऐसा न करें।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं बहुत सीधा आदमी हूं और इस लिये मुझ को थोड़ी सी चालाकी इस्तेमाल करनी पड़ी। यह मैं आप से कहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : जिस बात के लिये मैंने कह दिया कि इस की इजाजत नहीं देता फिर भी . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया।

अध्यक्ष महोदय : इस बात से मेरी वरियत तो नहीं होगी उस फैसले से जो मैंने दिया।

डा० राम मनोहर लोहिया : त्यागी जी आप भी क्यों इतनी ज्यादा नौकरी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ऊपर एक और रिफ्लेक्शन यह है कि अगर त्यागी जी नहीं कहते तो मैं इस बात को न समझता।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं एक सैकेंड के लिये भी ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। मेरा बिल्कुल यह इरादा नहीं था, मैंने आप से पहले ही कह दिया है। मैं बहुत सीधा आदमी हूं। बहुत कम मौकों पर मुझे चालाकी का इस्तेमाल करना पड़ता है लेकिन करूं क्या, यहां दवाया जो इतना जा रहा है। इस लिये अब मैं प्रधान मंत्री के बारे में

अध्यक्ष महोदय : एक बात मैं कह दूं, हालांकि बार बार दखल देना ठीक नहीं। जैसा आप ने कहा कि बहुत कम मौकों पर आप चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप किया करें तो यह समझ कर के कि वह चालाकी छिपी नहीं रह सकती।

डा० राम मनोहर लोहिया : इसी लिये मैं उस का इस्तेमाल करता हूं, वर्ना करूं क्यों। आप ठीके समझें।

मैं प्रधान मंत्री जी के बारे में आप से बतलाना चाहूंगा। यह समझ का फेर नहीं। वह जरा मेरी बात पर ध्यान दें, मुझ पर गुस्सा न करें और मेहरबानी कर के अपनी तीन मदों के खर्च को वे अच्छी तरह से समझ लें। एक तो अनुदान की मद, दूसरी कोश की मद और तीसरी निधि की मद, जो अनुदान

विभिन्न मंत्रालय दिया करते हैं। मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि अगर माननीय गृह मंत्री एक बार प्रधान मंत्री के घर में जा कर देख लें कि अनुदानों से क्या क्या मिला करता है तो उन्हें पता चलेगा कि जो दूसरे मंत्री और मुख्य मंत्री लोग और किसी जरिये से हासिल करते हैं वह प्रधान मंत्री कायदे के मुताबिक हासिल कर लेते हैं। इस के अलावा मैं आप से यह भी अर्ज करूं कि जो कोष हैं, जैसे कि प्रधान मंत्री का राहत कोष है, पिछले दस पन्द्रह वर्षों में उस में से डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हुआ। उस के लिये कोई नियम नहीं है इस लिये खाली उन की स्वेच्छाचारिता चलती है। यह जवाब उन्होंने सदन में दिया था। ऐसे कोषों का इस्तेमाल कर के कोई भी आदमी अपनी राजकीय स्थिति को सुधार सकता है। अगर मेरे पास उस का सौवां हिस्सा भी हो जाए तो मैं आप से अदब से कहना चाहता हूं कि मेरे चारों तरफ भी न जाने कितने प्रकार के लोग होते और मेरी शक्ति भी कुछ बढ़ी हुई होती। राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने का यह जरिया है।

इसी तरह से जन हित निधि के बारे में बताऊं। करीब डेढ़ करोड़ की यह निधि है, इसका जगह जगह इस्तैमाल किया गया है, प्रधान मंत्री के घर के लोग इसके ट्रस्टी हैं, और इस सम्बन्ध में एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा। इस का पता लगाया जाए कि पंजाब के मुख्य मंत्री या उनके लोगों ने किस हद तक इस निधि में पैसा जमा करने में मदद पहुंचायी है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा चीजें खुल सकती हैं।

इसी तरह से मैं आप को एक बात और बताऊं. . .

अध्यक्ष महोदय : अब तो आप को खत्म करना चाहिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप मुझे पांच मिनट और दे दें, मैं खत्म करता हूं। और बाकी चीजों को छोड़ देता हूं।

मैं आपको एक दिल का दर्द बता दूं, और वह यह कि लोक सभा में इस के ऊपर विचार होना चाहिए था—यह आप देखें कि नियमों को किस तरह से इस्तैमाल करना है—कि हिन्दुस्तान के आगे आज एक भयंकर खतरा खड़ा हो गया है। यह संसदीय सदाचार है। हमारे दोनों मोर्चों पर तनाव बढ़ गया है। लेकिन लोक सभा के इस सत्र में खाली एक तनाव की बार बार चर्चा हुई है। सरकार के हाथ में यह जरिया रहता है कि जो चाहे अखबारों को खबर देती रहे। वह उनको कत्लों की, डकैतियों की, लूट की, गोलीबारी की खबरें दे कर जनता को उत्तेजित करती है। पाकिस्तान की सरकार तो पाजी है ही, लेकिन अगर हिन्दुस्तान की सरकार भी इन सब बातों को नहीं सोचती और ऐसी संसदीय हालत पैदा कर देती है तो यह अच्छा नहीं हुआ करता। यह भी नियमों की बात है।

इसी तरह से मैं आप से अर्ज करूंगा। मुझे तो खैर कोई ताकत की जगह पसन्द नहीं है। लेकिन अगर सचमुच कोई केन्द्रीय निगरानी कमीशन—सच्चा कमीशन—बनाया जाए जिसको वह अधिकार मिले कि वह दो चेतावनियां देने के बाद उसी ढंग के भ्रष्टाचारी मामले में हर किसी को गिरफ्तार कर सके—अध्यक्ष महोदय मैं "हर किसी को" कह रहा हूं—चाहे वह मुख्य मंत्री हो या प्रधान मंत्री हो या कोई हो, और यह अख्तियार मिले कि हिन्दुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को अजसरेनों बदल सके, जो महान गैर-बराबरी इस देश को खाए जा रही है, उसको खत्म कर सके, खपत के ऊपर ध्यान न देकर पैदावार पर ध्यान दिया जाए, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दो वर्ष के अन्दर अन्दर मैं तो क्या माननीय महावीर त्यागी जी भी हिन्दुस्तान से भ्रष्टाचार

[डा० राम मनोहर लोहिया]

को खत्म कर सकते हैं, लेकिन श्री नन्दा कभी भी नहीं खत्म कर सकेंगे यह बिल्कुल तै बात है ।

मैं यह भी कह दूं कि पंचवर्षीय योजना, जिसके तहत २७ करोड़ आदमी सिर्फ तीन आने रोज पर रहते हैं और साढ़े १६ करोड़ आदमी एक रुपए औसत पर, तो मैं सात बरस के अन्दर अन्दर २७ करोड़ को तो आठ आने रोज पर ले आऊंगा और इन साढ़े १६ करोड़ को कम से कम डेढ़ या पौने दो रुपए रोज पर ले आऊंगा ।

Shrimati Vimla Devi (Eluru): Mr. Speaker, Sir, I could not follow what was said by my brothers, Shri Prakash Vir Shastri and Dr. Lohia, because they were speaking in Hindi. I congratulate Shri Shastri for bringing forward this discussion on corruption. Corruption, Sir, is no more a moral question, but it has become a first class political question. In the villages and towns, on buses and trains, in hotels and cinema houses........

Mr. Speaker: The hon. Member may kindly resume her seat. There was a question raised in my absence about the extension of time for this discussion. Those enthusiasts are not here now, I find. I had decided that we will continue this discussion till two o'clock when I will call the hon. Minister to reply. I want to make it clear that I intend doing that even now.

Shri P. K. Deo: May I submit, Sir, that the proposal was that this discussion be carried over to the next session and, therefore, the Minister may be called to reply in the next session.

Mr. Speaker: The rules are clear. This is a discussion under Rule 193. The time allowed is 2 hours, 2 hours 30 minutes at the most. Sometimes the House has relaxed it a little, but even if it is desired that it should be extended to the next session, then a new notice shall have to be given and we cannot continue the discussion on this one. In that case we can only adjourn the discussion and a fresh notice shall have to be given for taking up a discussion on this subject. Hon. Members ought to be clear in their mind. If some hon. Member wants to move that this discussion be adjourned, he can do so. But in that case, as I said, a fresh notice shall have to be given in the next session if they want to take up this discussion.

Shri P. K. Deo: Sir, I beg to move:

"That this discussion be adjourned to the next session."

Mr. Speaker: That is not in order.

Shri P. K. Deo: Sir, I beg to move:

"That this discussion be adjourned and fresh notice be given in the next session."

Mr. Speaker: He need not say that. He need move only the first part.

Shri P. K. Deo: Sir, I beg to move:

"That this discussion be adjourned."

Mr. Speaker: What is the reaction of the Government?

Shri Hajarnavis: I accept it.

Mr. Speaker: The question is:

"That this discussion be adjourned."

The motion was adopted.

Shrimati Vimla Devi: The time up to 2·30 today is there for this.

Mr. Speaker: So further discussion on this is adjourned. New notice shall have to be given before I can allow Shrimati Vimla Devi to speak.

Shri P. K. Deo: In this regard, Sir, I beg to submit that it has been agreed that 5 hours be allowed for this discussion. I would suggest that it should

be taken up in the first week of the next session.

Mr. Speaker: That we will see. We shall now take up the next item.

(ii) SUGER-CANE PRICES

Mr. Speaker: This is the last day of this session. I hope everything will conclude by Five o'clock, including even the Half-an-hour Discussion. Therefore, at the most I can extend this discussion upto 4.30 and at 4.30 I will take up the Half-an-hour Discussion and conclude it at Five o'clock.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Mr. Speaker, Sir, it is with deep and serious sense of duty to my constituents, to the State and to India as a whole, that I and 49 of my friends from all sections of this House have given notice for this discussion.

It is really regrettable, Mr. Speaker, that a Ministry which happens to be presided over by an exceptional a man of exceptional talent, a man of character and competence in the person of Sardar Swaran Singh, should be subject to such critical discussion within so short a time after he has made a statement in deference to the wishes of the House.

Shri Inder J. Malhotra (Jammu and Kashmir): Sir, there is nobody representing the Food and Agriculture Ministry.

Mr. Speaker: He is coming. I have sent for him.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): I am here.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: I would request the hon. Deputy Railway Minister to convey my feelings to him.

The hon. Minister was pleased to state that there was a uniform demand for raising the sugarcane prices to Rs. 2 per maund with 9 per cent recovery, and the Minister has added his own appreciation of the situation and attributed certain utterances to Members, which was not the purport of the demand of this House, that this demand was particularly from the Members of Uttar Pradesh and Bihar. I must say duty bound to my hon. colleagues from Uttar Pradesh and Bihar that when they made this demand of Rs. 2 as the minimum price of sugancane their intention, expressed in words and by their feelings, never was that this should be restricted only to U.P. and Bihar. By saying so the hon. Minister would be doing an injustice to the Members of both U.P. and Bihar and also to those who unanimously made the demand that Rs. 2 should be the minimum price of sugarcane with 9 per cent recovery.

Mr. Speaker, I must humbly draw your attention to this fact that the hon. Minister in the same breath, in the same statement, said that this was not a permanent assurance to the Members that this price of Rs. 2 shall remain for ever as the minimum price of sugarcane and that it was likely to be reduced or increased as the circumstances demanded.

13·20 hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

I think that the tenor of argument that he has used amounts to a threat to cane growers and also to those who represent cane growers here that they need not rest assure that this Rs. 2 will be the minimum price on a permanent basis. I think the Ministry should consider this Point on the background that the very argument that has been placed on the floor of this House revolves on this factor that sugar policy or the so-called sugar policy of the Government of India has been a tragic failure not because of any faults in the policy but because there has not been any sugar policy as such. There has been a persistent demand that a definite sugar policy, if I may say so, if necessary in the form of an Industrial Policy